न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)

मि.न.144/2019

दिनांक 9.12.19

सरकार बनाम सुनिल
निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नारहेडा ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम नारहेडा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 1551/0.94 है0 किस्म गै0मु0 मेंसे 0.02 है0पर सुनिल पुत्र प्रभूदयाल जाति कुम्हार निवासी नारहेडा तहसील कोटपूतली ने स्कुल बनाकर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित आये जबाब पेश किया जो संलग्न पत्रावली किया गया। गैर सायल ने अपने जबाब में कथन किया है गैर सायल अक्त भूमि का ग्रम पंचायत नारहेडा द्वारा पटटा जारी किया हआ है उसी पर कबिज है। गैर सायल ने दस्तावेज पेश किये जो संलग्न पत्रावली हैं। गैर सायल द्वारा प्रस्तुत जबाब से स्वतः ही उक्त आराजीयात पर गैर सायल का अतिकमण सिद्व होता है गैर सायल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार गैर सायल को आबादी भूमि आवंटन की गई है। जबकि खसरा नंबर 1551/0.94है0 वाके ग्राम नारहेडा की किस्म गै0 मु0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो भराव क्षेत्र है। जिस पर अतिक्रमण कर जोहड के स्वरूप को क्षति पहूचाने का है जिसमे माननीय उच्च न्यायालय राज0 द्वारा डी.बी. सिविल रिट पीटीसन न.1536/2013 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में निर्णय दिनांक 2.8.2004 में गै0मु0 नदी0 ,तालाब, जोहड,भराव,बहाव क्षेत्र की 1947की स्थिति कायम रखने के आदेश प्राप्त हैं। अतः अतिकमियों के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिकमी के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी।

अतः गैर सायलसुनिल पुत्र प्रभूदयाल जाति कुम्हार निवासी नारहेडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम नारहेडा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 1551/0.94है0,किस्म जमीन गै0मु0 मे से 0.02है0 पर अतिकमी धोषित किया जाता है तथा उक्त

तहसीलदार
कोटपूतली जिला

Scanned by CamScanner

आराजीयात से भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान राशी .0.60रू. का पचास गुणा 30रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू– अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। उक्त मकान में जारी शुदा विधुत कनैक्श विच्छैद की कार्यवाही हेतु ज0वि0वि0लि0कोटपूतली को लिखा जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 9.12.19 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार
कोटपूतली जयपुर

Scanned by CamScanner